झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 6 राँची, बुधवार

6 फाल्गुन 1936 (श०)

25 फरवरी, 2015 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 59-68

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन --- निकले

भाग-9-क–बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक अ ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 जनवरी, 2015

संख्या- कार्मिक- 01/2015- 35--वि0स0 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 333 के अधीन झारखण्ड विधान सभा मे आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल, झारखण्ड द्वारा मनोनीत सदस्य श्री ग्लेन जोसफ गाँल्सटॉन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 188 के आलोक मे मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 - सी0 एस0- 01/विविध -01/2015/102, दिनांक- 28 जनवरी, 2015 के अनुसरण मे अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के समक्ष अध्यक्षीय कार्यालय मे दिनांक- 28 जनवरी, 2015 को शपथ ग्रहण किया |

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

सुशील कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/से0वि0-04-22/2014 का0 1145 -- श्री कमल किशोर रवि, झा0प्र0से0, **सेवानिवृत आयुक्त के सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची की (क) दिनांक** 27 **मई,** 2001 **से** 15 **जुलाई,** 2001 **तक एवं (ख) दिनांक** 14 **जनवरी,** 2003 **से** 13 **जुलाई,** 2003 **तक की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम** 236 **के तहत् असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार बाजपेयी,
सरकार के अवर सचिव ।

शुद्धि पत्र

11 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0सं0-09-52/2014 का॰ 1146-- कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, **झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-** 653 **दिनांक** 27 **जनवरी,** 2015 **को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-**

उक्त वर्णित अधिसूचना में अंकित ''दिनांक 17 **दिसम्बर,** 2014 **से** 31 **दिसम्बर,** 2014 **तक'' को ''दिनांक** 17 **दिसम्बर,** 2014 **से** 30 **दिसम्बर,** 2014 **तक'' पढ़ा जाय ।**

उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार बाजपेयी,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

11 फरवरी, 2015

संख्या-1/पी0-121/2003 का0- 1233-- प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एल0 खियांग्ते, भा.प्र.से. (झाः88) को अपने कार्यों के साथ झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग में विधि पदाधिकारी के चयन हेतु गठित, चयन समिति हेतु सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

12 फरवरी, 2015

संख्या-1/विविध-811/2014 का॰ – 1295 -- श्री एस0के0जी0 रहाटे, भा.प्र.से. (झाः90), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 से 17 दिसम्बर, 2014 तक कुल 13 (तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

16 फरवरी, 2015

संख्या -03/प्रोन्नति-02-29/2014 का0 1380-- श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, झा0प्र0से0, **सम्प्रति सेवानिवृत को उनके विरूद्ध बिहार निगरानी थाना काण्ड संख्या-**29/86 **एवं** 30/86 **अत्यधिक अवधि से लम्बित रहने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-**6227 **दिनांक** 20 **नवम्बर,** 2008 **के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-**2751 **दिनांक** 27 **अप्रैल,** 2009 **के द्वारा दिनांक** 20 **नवम्बर,** 2008 **के प्रभार से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि एवं अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की गई थी ।**

बिहार निगरानी थाना काण्ड संख्या-29/86 **एवं** 30/86 **से प्रत्युत्पन्न विशेष वाद संख्या-**74/1986 **एवं** 75/86 **में विशेष न्यायाधीश निगरानी**, पटना **द्वारा दिनांक** 21 **दिसम्बर,** 2010 **को पारित न्यायादेश में दोष सिद्ध पाये जाने**, **विधि (न्याय) विभाग के परामर्श तथा विभागीय संकल्प संख्या-**6227, **दिनांक** 20 **नवम्बर,** 2008 **को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-**2751, **दिनांक** 27 **अप्रैल,** 2009 **द्वारा** 20 **नवम्बर,** 2008 **के प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि तथा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई तदर्थ प्रोन्नति को निरस्त करते हुए श्री शर्मा को मूल कोटि के वेतनमान में प्रत्यावर्तित किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार बाजपेयी,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

18 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0सं0-09-15/2014 का॰ 1405-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री आशिफ इकराम, प्रशासी पदाधिकारी, परिवार कल्याण (NRHM), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को दिनांक 29 अप्रैल, 2005 से 14 जून, 2005 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार बाजपेयी,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

18 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/से0वि0-04-33/2014 का॰ 1419--विभागीय अधिसूचना सं0- 6755 दिनांक 26 जुलाई, 2013 एवं स्वीकृत्यादेश सं0- 6756 दिनांक 26 जुलाई, 2013, जिसके द्वारा श्री नुरूल होदा, होदा, झा0प्र0से0 को दिनांक 20 जुलाई, 2001 से 26 नवम्बर, 2001 तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया गया था, को रद्द किया जाता है ।

उक्त संदर्भ में विभागीय अधिसूचना सं0- 2706 दिनांक 12 मई, 2010 जिसके द्वारा श्री श्री होदा को दिनांक 20 जुलाई, 2001 से 26 नवम्बर, 2001 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, यथावत प्रभावी रहेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार बाजपेयी,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0 सं0-09-157/2014 का॰ 1497 --झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री विमल, झा0प्र0से0, **संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड को दिनांक** 19 **दिसम्बर,** 2014 **से से** 05 **जनवरी,** 2015 **तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम** 227, 230 **एवं** 248 **के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार बाजपेयी,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-1/पी0-108/2013 का0- 1667 -- अधिसूचना संख्या-1/**पी**0-104/2014 **का॰-**1262, **दिनांक** 11 **फरवरी,** 2015, **जिसके द्वारा श्री कृपानन्द झा, भा.प्र.से. (झा**:2005) **को उपायुक्त, धनबाद के पद पर पर पदस्थापित करते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री झा को बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद का दिया गया अतिरिक्त प्रभार प्रभार दिनांक** 01 **मई,** 2015 **से प्रभावी होगा ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

13 फरवरी, 2015

सं0-10ए0/भू0अ0नि0/नियमावली-35/2014 39/नि0 रा0-- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के अधीन भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-44 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को संबंधित प्रमंडल का पुनर्वासन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त नियुक्त किया जाता है ।

आयुक्त पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं की सूत्रीकरण का अधीक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें । साथ ही वे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा संपरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगें ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सचिव ।

अधिसूचना

13 फरवरी, 2015

सं0-10ए0/भू0अ0नि0/नियमावली-35/2014 40 नि0रा0--"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013" की धारा-43 में प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों के आलोक में भू-अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने होने की संभावना के मद्देनजर जिले में कार्यान्वित की जानेवाली सभी परियोजनाओं के लिए राज्य के संबंधित सभी जिलों के अपर समाहर्त्ता को संबंधित जिलों का "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया जाता है ।

"पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों को न्यायोचित और उचित प्रतिकर देने, ऐसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य भूमि अर्जन का निर्णय ऐसा होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास का भागीदार बनें तथा अर्जन के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में सुधार हो सके ।

राज्य सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और मानिटरिंग प्रशासक में निहित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सचिव ।

अधिसूचना

21 फरवरी 2015

विषयः- W.P.(C) No.-.-6138/2012, XLRI School of Buisness & Human Resources Vrs The State of Jharkhand and other analogous Cases में दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को पारित आदेश के आलोक में जाँच कमिटी के गठन के संबंध में ।

संख्या-5/स.भू. पू. सिंह.(मु.)-328/12-549/Ra-- Indenture of lease dated-20 अगस्त, 2005 में सरकार एवं मेसर्स टाटा स्टील लि. के बीच सरकारी भूमि का लीज एकरारनामा किया गया था । दिनांक 20 अगस्त, 2005 को सम्पन्न लीज एकरारनामा की कंडिका-8 में । Appropriate Machinery Committee का गठन कर सरकार के सहमति से सबलीज का प्रावधान किया गया था । विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3874/रा0, दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 के तहत् ए0एम0सी0 के गठनोपरांत टिस्को लीज भूमि को मेसर्स टाटा स्टील लि. द्वारा कई सस्थानों/निकायों/व्यक्तियों को सबलीज पर भूमि दी दी गई थी। Singhbhum Chamber of Commerce एवं एक नागरिक द्वारा समर्पित परिवाद-पत्र पर तथाकथित सबलीज भूमि आवंटन में अनियमितता की जाँच हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद श्री देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में जाँच कमिटि गठित की गई थी एवं जाँचोपरांत सरकार के समक्ष प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया था। जाँच रिपोर्ट के आलोक में राजस्व विभागीय पत्रांक-3058/रा0, दिनांक 17 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, चाईबासा से चार बिंदुओं पर प्रतिवेदन की माँग की

की गई थी । उक्त निर्गत पत्र को निरस्त किये जाने हेतु सबलीज धारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गयी । माननीय न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-.-6138/2012, XLRI School of Buisness & Human Resources Vrs The State of Jharkhand and other analogous Cases में दिनांक-17 दिसम्बर, 2014 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः-

"Accordingly without entering into the merits of the matter, the writ petitions are allowed to the extent that, if the State Government decides to conduct an enquiry in the matter, the same must be completed on or before 31 march, 2015 and the petitioners would be given individual notices. It is further ordered that the petitioners and M/s Tata Steel Limited would furnish all required information, if any, sought by the State Government and they would co-operate in expeditious conclusion of the enquiry. In case, the State Government takes an adverse decision, the same would be communicated to the petitioners with a copy of the enquiry report."

माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को पारित न्यायादेश न्यायादेश के आलोक में विषयगत सबलीज मामले की जाँच हेतु आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में एक समिति निम्नरूपेण गठित की जाती है:-

(i) आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा - अध्यक्ष
(ii) उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर - सदस्य सचिव
(iii) संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - सदस्य
(iv) अपर समाहर्ता , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर - सदस्य
(v) जिला लेखा पदाधिकारी, जमशेदपुर - सदस्य

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में समिति अपना जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10 मार्च, 2015 तक सरकार के समक्ष समर्पित करेगी, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित पारित आदेश का अनुपालन करते हुए सबलीज विषयक मामले पर सरकार के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई की जा सके ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 6 -50 ।